कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 2570/14-1 दिनांक, एटा, मई 22, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः एटा में अलीगढ़ कानपुर सेंक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 91 के कि0मी0 186 से 228 तक चारलेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 65.495 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक 3000/एटा-91/22374/2017 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत को सम्मिलित करते हुए बिन्दुवार अनुपालन रिपोर्ट निम्नवत् है।

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (65.495X2= 130.99 हे0 अर्थात् 195.792 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रभावित वन भूमि (65.495X2= 130.99 हे0 अर्थात् 195.792 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 16983117.00(एक करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ सत्रह मात्र) को Online Forest Clearence Portal द्वारा निर्गत चालान में अंकित धनराशि को ई0 पेमेण्ट के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC – CORP0000371 A/C No 150906122374643 में NEFT द्वारा दिनांक 18.05.2018 द्वारा जमा कर दी गयी है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक 1)
2(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रभावित वन भूमि 65.495 हे0 की एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 52592485.00 (पॉच करोड़ पच्चीस लाख बानवे हजार चार सौ पच्चासी मात्र) को online forest clearence Portal द्वारा निर्गत चालान में अंकित धनराशि को ई0 पेमेण्ट के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC – CORP0000371 A/C No 150906122374643 में NEFT द्वारा दिनांक 18.05.2018 द्वारा जमा कर दी गयी है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक 1)
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हे0 प्रेषित की जाए, यथोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या online Portal के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की online ई0 रसीद की छायाप्रति संलग्न है । (संलग्नक 1)
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	यदि एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जमा करने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 2)

E n 2017,

	...विवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) सैट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या -27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक -16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा ।	उक्त शर्तो का पालन किये जाने सम्बन्धी प्रयोक्ता अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना स्वीकृत कर प्रस्ताव के साथ पूर्व में भेजी जा चुकी है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	इस शर्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 5)
7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालक प्रेषित करते हुए.संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 8)
8	परियोजना हेतु उपयोगार्थ कुल वन भूमि 65.495 हे0 में पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 91 रिटेल पैट्रोलपम्प के पक्ष मे विमुक्त वन भूमि संनिहित मानी जायेगी।	इस शर्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 6)
9	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 पर पूर्व से स्थित पैट्रोल पम्पों की अधिभाग(Access) की अनुमति यथावत् मान्य होगी।	इस शर्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक 7)
10	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़क के किनारे स्थित वृक्षों का स्थानान्तरण परियोजना व्यय पर स्थानान्तरण हेतु वृक्षों की उपयुक्तता (suitability) को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तकनीकी व्यवर्हाता (Technical feasibility) से सुनिश्चित किया जाएगा।	उक्त शर्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित कर दिया गया है।

	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र -11-306/2014-क0सी0(पी0आई0) दिनांक 28.06.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण , एन0पी0वी0, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वनभूमि कियावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं कायान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।	इस कार्यालय के पत्रांक 2569/14-1 दिनांक 22.05.2018 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जा चुकी है।

भवदीय

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

पत्रांक 2570/ समदिनांकित।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी,एटा।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

भा0रा0रा0प्रा0 / प0क0इ0–अली0 / 15017 / P-II / 2018 / डी0–10249

दिनांक: 22.05.2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, वन विभाग,
एटा (उ0प्र0)।

विषयः– जनपद एटा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के किमी0 229.000 से किमी0 289.000 (कल्यानपुर से नवीगंज) तक मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु 65.495 हैक्टेयर भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–

(1) कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक 2440 / 14–1 दिनांक 08.05.2018 ।

(2) वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ पत्रांक 8बी / यू.पी. / 06 / 12 / 2018 / एफ.सी. / 54 दिनांक 23.04.2018।

महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्रांक (2) द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

अतः तदानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

शर्त संख्या 1: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि (65.495 x 2 = 130.99 Hectare) अर्थात् 130.99 है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 2(क): प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 199 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करा दी गयी है।

शर्त संख्या 2(ख): जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न अनुलग्नक–1)**

शर्त संख्या 2(ग): प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी की जाती है तो भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा इसका भुगतान कर दिया जायेगा। **(संलग्न अनुलग्नक–2)**

शर्त संख्या 3 : प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों / सीमांकन पर व्यय धनराशि का भुगतान किया जायेगा।। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लिखवाया जायेगा। **(संलग्न अनुलग्नक–3)**

2215

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

शर्त संख्या 4 : प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0– 27/2016 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के क्रम में सड़क सीमा के दोनो तरफ एवं मध्य (यदि उपलब्ध है तो) में वृक्षारोपण किया जायेगा। **(संलग्न अनुलग्नक–4)**

शर्त संख्या 5: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है।

शर्त संख्या 6: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा। **(संलग्न अनुलग्नक–5)**

शर्त संख्या 7: सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण–पत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

शर्त संख्या 8: परियोजना हेतु अपयोजित कुल 65.495 है0 वन पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग–91 पर स्थित पैट्रोल पम्प के विमुक्त/अपयोजित वन भूमि में सन्निहित किया गया है। **(संलग्न अनुलग्नक–6)**

शर्त संख्या 9: राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 पर पूर्व में स्थित पैट्रोल पम्पों को अभिगम (Access) की अनुमति यथावत् मान्य हेतु प्रमाण–पत्र। **(संलग्न अनुलग्नक–7)**

शर्त संख्या 10: राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़क के किनारे स्थित वृक्षों का स्थानान्तरण (Translocation), परियोजना व्यय पर स्थानान्तरण हेतु वृक्षों की उपयुक्तता (Suitability) को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता अभिकरण (भा0रा0रा0प्रा0) द्वारा तकनीकि व्यवर्हता (Technical feasibility) के पश्चात ही सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शर्तों की उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या तथा निर्धारित धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

2/2/5

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ ।
6. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ।
7. मैं0 साईं कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा0लि0, फरीदाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कार्यालय में सम्पर्क कर अग्रिम कार्रवाई को सुनिश्चित करें।
8. क्षेत्रीय अधिकारी (पश्चिमी उ0प्र), भा0रा0रा0प्रा0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

C/S

(नवीन कुमार शाक्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

ANNEXURE-1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-05-2018

Agency Name.	NHAI
Application No.	6122374643
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/12/2018
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Project Director, National Highway Authority of InAligarh
Amount(in Rs)	69575602/-

Amount In Words :Six Crore Ninety-Five Lakh Seventy-Five Thousand Six Hundred and Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906122374643 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-05-2018

Agency Name.	NHAI
Application No.	6122374643
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/12/2018
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Project Director, National Highway Authority of In Aligarh
Amount(in Rs)	69575602/-

Amount In Words :Six Crore Ninety-Five Lakh Seventy-Five Thousand Six Hundred and Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906122374643 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

CNRBR52018052100610727

22/5

C/S 22/5/18

(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

उपलग्नक - 2
Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–2)

प्रभावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के बढ़ोत्तरी होने के सम्बंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी0 186.000 से 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों **कुल 5798 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0–8बी/यू.पी./06/12/2018/एफ.सी./54 दिनांक 23.04.2018 द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों में यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण (भा0रा0रा0प्रा0) बढ़ी हुई धनराशि जमा करने को वचनबद्ध होगा।

2/1/5

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

C/S
2/7/18
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

अनुलग्नक-3

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–3)

प्रस्तावित वनक्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने सम्बंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी0 186.000 से 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों **कुल 5798 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगीं।

2/4/25

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

C/S
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक-4)

सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण सम्बंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी0 186.000 से 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों **कुल 5798 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

2/1/5

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

C/S
2/5/18
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

(संलग्नक-5)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक-5)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून के पालन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी0 186.000 से 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों **कुल 5798 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

2/2/5

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

C/S
(सजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अलीगढ़ कानपुर सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 91 किमी0 186 से 228 तक में प्रयोक्ता अभिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वन संरक्षण 1980 के उल्लंघन का कोई कार्य नहीं किया है।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

E n 2017,

संलग्नक-67

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–6)

राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित पेट्रोल पम्पों के पक्ष मे विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सन्निहित माने जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी0 186.000 से 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों **कुल 5798 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में परियोजना हेतु अपयोजित कुल भूमि 65.495 है0 में पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित पेट्रोल पम्पों के पक्ष में विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सन्निहित मानी जाएगी।

2/5

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

C/S
2/5/2018
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

सलग्नक - 8

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–7)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 पर पूर्व में स्थित पेट्रोल पम्पों की अभिगम (Access) की अनुमति यथावत् रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी0 186.000 से 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों **कुल 5798 वृक्षों/पौधों** के पातन की अनुमति प्रस्ताव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 पर पूर्व में स्थित पेट्रोल पम्पों की अभिगम (Access) की अनुमति यथावत् मान्य होंगीं।

2/5

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक

C/S
2/5/18
(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा

सेक्शन-9

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit, Aligarh
स्ट्रीट नं० 4, होटल नीलकंठ के पीछे, बीमा नगर, एलमपुर, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
Street No. 4, Behind Hotel Neelkanth, Beema Nagar, Elampur, G.T. Road, Aligarh-202001(U.P.)

Mob. : 9412730116
E-mail : aligarh@nhai.org
nhaipiubsr001@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(अनुलग्नक–8)

परियोजना व्यय पर स्थानान्तरण हेतु वृक्षों की उपयुक्तता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तकनीकी व्यवर्हता सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के 4लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एटा में किमी. 186.000 से किमी. 229.000 तक 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़क के किनारे स्थित वृक्षों का स्थानान्तरण परियोजना व्यय पर वृक्षों की उपयुक्तता (Suitability) को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता अभिकरण (भा0रा0रा0प्रा0) द्वारा तकनीकी व्यवर्हता (Technical feasibility) के पश्चात ही सुनिश्चित किया जायेगा।

22/5/2024

(पी0पी0 सिंह),
परियोजना निदेशक